

From,

sri R. C. Upadhyaya
Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Reg-123

To,

36 The District Judge,
Varanasi
No. 20562 /IV-2529/Adm(A) Dated: Allahabad: 3/12/88

Subject: - Grant of Motor Car advance to sri Ashok Kumar Yadav,
Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi.

Sir,

With reference to your letter/endorsement No. 1382/I dated 2.11.88 on the above subject, I am directed to say that application of sri Ashok Kn. Yadav, Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi has been registered for grant of the above advance and it shall be considered, on the basis of 'First come first served'. At present, no amount is available with the Court for the purpose. In the meantime the officer may be asked to furnish details of the motor car intended to be purchased and in case he has to purchase the car from a private party, as and when the advance is sanctioned to him he should obtain Court's prior permission for the same, so that the amount of advance may be utilised by him within the stipulated period.

Yours faithfully,

By JOINT REGISTRAR.

Verma/-

D.R.(M)

May issue?
Dr. Tansil
27.11.88

Ramesh
27.11.88

SR. AD. J.

Issue. R. C. U.
18/11

19214

Reg No.
 File No. IV/2529
 Serial No. 35
 23-11-98

20-11-98
 Req-123

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
 द्वितीय अपर सिविल जज, जू.डि.,
 वाराणसी।

सेवा में,

माननीय निबन्धक,
 माननीय उच्च न्यायालय,
 इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
 वाराणसी।

विषय:-

मोटर कार अग्रिम के संबंध में आवेदनपत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित मोटर कार
 अग्रिम स्वीकृत हेतु आवेदन -पत्र तीन प्रतियों में आवश्यक
 कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

आपसे अनुरोध है कि आवश्यक कार्यवाही
 के उपरान्त यथाशीघ्र मोटर कार की स्वीकृत दिलाने
 की कृपा की जाय।

"ससम्मान सहित"

भवदीय,

Ashok Kumar Yadav
 21/11/98

दि.:- 31.10.98 ई.,

अशोक कुमार यादव
 द्वितीय अपर सिविल जज,
 जू.डि., वाराणसी।

संलग्नक:-

वाराणसी न्यायालय

क्रमांक 1382/1 दिनांक 2-11-98

अप्रसारित

जिला न्यायाधीश
 वाराणसी।

(4)

S.O. Admn (A)

18 NOV 1998

af
 19/11

DR(m)
 May, if allowed, his appl-
 may be registered at fl.
 10-513 on the date of
 25.11.98 in the relevant
 register & the office
 may be informed?

Se. Admn
 25.11.98
 Yes: R. Kumar
 25/11/98

1329
 S.O. Admn. A-1/H
 D.R.(M)
 19.11.98

af
 19/11

मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि का स्वीकृति: हेतु प्रार्थनापत्र:-

- 1:- प्रार्थी का पूरा नाम व पदनाम:- आशोक कुमार यादव, द्वितीय अपर सिविल जज, जू.डि. वाराणसी
- 2:- स्थाई अथवा अस्थायी, यदि प्रार्थी अस्थायी कर्मचारी है तो उसको अस्थायी कर्मचारियों का जमाना/सिक्योरिटी वाला फार्म/पर सक्षम अधिकारी/कर्मचारी को दिखाना चाहिए।
- 3:- अग्रिम की धनराशि:-
- 4:- प्रार्थी की मासिक मूल वेतन:-
- 5:- प्रार्थी की निवृत्ति की तिथि:-
- 6:- प्रार्थी की जन्म तिथि:-
- 7:- विभाग में नियुक्ति की तिथि:-
- 8:- जामिन का नाम व पूरा पता:-
- 9:- जामिन की निवृत्ति तिथि:-
- 10:- क्या स्थाई कर्मचारी आ.तर्ज पर लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय में अनुमोदित है:-

स्थायी

1,50,000 रुक लाना पचास हजार रुपया मात्र
9100 नौ हजार एक सौ रुपया मात्र

1.1.2022

1.1.1964

10.4.1992

प्रभावी नहीं है।

प्रभावी नहीं है।

जी हाँ।

- 1:- यदि कोई वाहन अग्रिम धनराशि लिया हो तो उसका विवरण:-

प्रथम अग्रिम

~~अग्रिम~~

- अ) स्वीकृत आदेश की संख्या तथा तिथि:- 1117/111/11,20.11.92
- ब) स्वीकृत धनराशि:- 13000=00
- प) तिथि जब उसका पूरा भुगतान व्याज सहित हो जायेगा:- मार्च 1997 में हो गया।

द्वितीय अग्रिम

- अ) स्वीकृत आदेश की संख्या व तिथि:- x
- ब) स्वीकृत धन x
- प) तिथि व उसके भुगतान होने की संभावना है x

- 1:- क्या प्रार्थी नई गाड़ी खरीदना चाहता है, यदि हाँ तो गाड़ी कब तक मिलने की संभावना है:-
अग्रिम मिलने के लगभग एक माह बाद।

अथवा

प्रार्थी पुरानी गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसका पूरा पूरा सबूत कि अग्रिम मिलने के एक माह के अन्दर उसका उपभोग हो जायेगा साथ ही जो पुराना वाहन खरीद रहा है, उसका अनिश्चित बीमा प्रकृत है अथवा नहीं यह स्पष्ट किया जाय। प्रार्थी नई वाहन खरीदना चाहता है।

संबंधित राज्य कर्मचारी/अधिकारी ने पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए गवर्नमेंट रुल्स के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ तो अनुमति की एक प्रति संलग्न की जाय:-
नई कार खरीदना है।

मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटरकार का आकलन:-

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटर कार खरीदने हेतु अग्रिम धन स्वीकृत की शर्तों के अनुसार गाड़ी का बीमा एवं रेहननाम निश्चय अवधि के अन्दर जैसा नियम में किया है, नहीं करता हूँ तो पूरा धनराशि एक ही बार में व्याज सहित वापस कर दूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि कितनी परिस्थितियों में समय से पूर्व अथवा समय पर मुक्त कर दिया जाऊ तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से स्वीकृत शेष राशि को मुझे वसूल कर लेवे।

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 31.10.98 को मेरे बच्चों की संख्या 2 है।

:- 31.10.98 ई.,

Ashok Kumar Yadava
31/10/98

आशोक कुमार यादव
द्वितीय अपर सिविल जज,
जू.डि., वाराणसी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना ठीक है।

प्रमाणित किया जाता है कि कालम 2, 4, 10 के सामने दी गई सूचना ठीक है।

- 31.10.98 ई.,

Ashok Kumar Yadava
31/10/98

आशोक कुमार यादव
द्वितीय अपर सिविल जज,
जू.डि., वाराणसी।

टर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल ढारीदने के लिए अग्रिम ढानराशि का स्वीकृतः हेतु प्रार्थनापत्रः-

- प्रार्थी का पूरा नाम व पदनामः- अशोक कुमार यादव, द्वितीय अर सिविल जज, जू.डि. वाराणसी।
- स्थाई अथावा अस्थाई, यदि प्रार्थी अस्थाई कर्माारी है तो उसको अस्थाई कर्माारियों का जमानत/सिक्योरिटी वाला फार्म/पर सक्षम अधीकारी/कर्माारी को दिढाना चाहिए।

- अग्रिम की ढानराशिः- स्थाई 1,50,000 एक लाख पचास हजार रुपया मात्र
- प्रार्थी की मासिक मूल वेतनः- 9,100 नौ हजार एक सौ रुपया मात्र
- प्रार्थी की निवृत्त की तिथिः- 1.1.2022
- प्रार्थी की जन्म तिथिः- 1.1.1964
- विभाग में नियुक्ति की तिथिः- 10.4.1992
- जामिन का नाम व पूरा पताः- प्रभावी नहीं है।
- जामिन की निवृत्त तिथिः- प्रभावी नहीं है।

0:- क्या स्थाई कर्माारी जा.तर्ज पर लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय में अनुमोदित है:- जी हाँ।

1:- यदि कोई वाहन अग्रिम ढानराशि लिया हो तो उसका विवरणः-

- प्रथम अग्रिम
- अ) स्वीकृत आदेश की संख्या तथा तिथिः- 1117/111/11,20.11.92
- ब) स्वीकृत ढानराशिः- 13000=00
- स) तिथि जब उसका पूरा भुगतान व्याज सहित हो जायेगाः- मार्च 1997 में हो गया।

- द्वितीय अग्रिम
- अ) स्वीकृत आदेश की संख्या व तिथिः- *
- ब) स्वीकृत ढान *
- स) तिथि व उसके भुगतान होने की संभावना है *

2:- क्या प्रार्थी नई गाड़ी ढारीदना चाहता है, यदि हाँ तो गाड़ी कब तक मिलने की संभावना है:- अग्रिम मिलने के लगभग एक माह बाद।

अथावा

यदि प्रार्थी पुरानी गाड़ी ढारीदना चाहता है तो उसका पूरा पूरा सबूत कि अग्रिम मिलने के एक माह के अन्दर उसका उपभोग हो जायेगा साथ ही जो पुराना वाहन ढारीद रहा है, उसका अभाषित बीमा हो सकता है अथावा नहीं यह स्पष्ट किया जाय। प्रार्थी नई वाहन ढारीदना चाहता है।

3:- संबंधित राज्य कर्माारी/अधीकारी ने पुरानी गाड़ी ढारीदने के लिए गवर्नमेंट हस्त के अनुसार सक्षम अधीकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ तो अनुमति की एक प्रति संलग्न की जायः- नई कार ढारीदना है।

4:- मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटरकार का आकलनः-

- क) मैं यह भी ढाढाणना करता हूँ कि मैंने मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटर कार ढारीदने हेतु अग्रिम ढान स्वीकृत की शर्तों के अनुसार गाड़ी का बीमा एवं रेहननामें निश्चय अधी के अन्दर जैसा नियम में दिया गया है, नहीं करता हूँ तो पूरा ढानराशि एक ही बार में व्याज सहित वापस कर दूंगा।
- ढा) मैं यह भी ढाढाणना करता हूँ कि यदि किन्ही परिस्थितियों में समय से पूर्व अथावा समय पर सेवा मुक्त कर दिया जाऊ तो शासन को यह अधीकार होगा कि वह किसी भी तरह से स्वीकृत ढानराशि को मुक्त काल कर लेवे।
- ग) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 31.10.98 को मेरे बच्चों की संख्या 2 है।

दिनांकः- 31.10.98 ई.स.

Ashok Kumar Yadava
21/10/98
अशोक कुमार यादव
द्वितीय अर सिविल जज,
जू.डि. वाराणसी।

12- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएँ ठीक हैं।

2:- प्रमाणित किया जाता है कि कालम 2, 4, 10 के सामने दी गई सूचनाएँ ठीक हैं।

दिनांकः- 31.10.98 ई.स.

Ashok Kumar Yadava
21/10/98
अशोक कुमार यादव
द्वितीय अर सिविल जज,
जू.डि. वाराणसी।

मोटर कार/स्कुटर/मोटर साइकिल छारीदने के लिए अग्रिम धनराशि का स्वीकृत: हेतु प्रार्थनापत्र:-

- :- प्रार्थी का पूरा नाम व पदनाम:- आशोक कुमार यादव, द्वितीय अपर सिविल जज, जू.डि. वाराणसी
:- स्थाई अथवा अस्थाई, यदि प्रार्थी अस्थाई कर्मचारी है तो उसको अस्थाई कर्मचारियों का जमाना/सिक्वोरिटी वाला फार्म/पर सक्षम अधिकारी/कर्मचारी को दिखाना चाहिए।

- स्थाई
:- अग्रिम की धनराशि:- 1,50,000 एक लाख पचास हजार रुपया मात्र
:- प्रार्थी की मासिक मूल वेतन:- 9100 नौ हजार एक सौ रुपया मात्र
:- प्रार्थी की निवृत्ति की तिथि:- 1.1.2022
:- प्रार्थी की जन्म तिथि:- 1.1.1964
:- विभाग में नियुक्ति की तिथि:- 10.4.1992
:- जामिन का नाम व पूरा पता:- प्रभावी नहीं है।
:- जामिन की निवृत्ति तिथि:- प्रभावी नहीं है।
10:- क्या स्थाई कर्मचारी आ.तर्ज पर लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय में अनुमोदित है:- जी हाँ।

11:- यदि कोई वाहन अग्रिम धनराशि लिया हो तो उसका विवरण:-

- प्रथम अग्रिम
अ) स्वीकृत आदेश की संख्या तथा तिथि:- 1117/1111 / 11.20.11.92
ब) स्वीकृत धनराशि:- 13000=00
स) तिथि जब उसका पूरा भुगतान व्याज सहित हो जायेगा:- मार्च 1997 में हो गया।

- द्वितीय अग्रिम
अ) स्वीकृत आदेश की संख्या व तिथि:- x
ब) स्वीकृत धनराशि:- x
स) तिथि व उसके भुगतान होने की संभावना है x

12:- क्या प्रार्थी नई गाड़ी छारीदना चाहता है, यदि हाँ तो गाड़ी कब तक मिलने की संभावना है:- अग्रिम मिलने के लगभग एक माह बाद।

अथवा

यदि प्रार्थी पुरानी गाड़ी छारीदना चाहता है तो उसका पूरा पूरा सबूत कि अग्रिम मिलने के एक माह के अन्दर उसका उपभोग हो जायेगा साथ ही जो पुराना वाहन छारीद रहा है, उसका अश्रिट बीमा हो सकता है अथवा नहीं यह स्पष्ट किया जाय। प्रार्थी नई वाहन छारीदना चाहता है।

13:- संबंधित राज्य कर्मचारी/अधिकारी ने पुरानी गाड़ी छारीदने के लिए गवर्नमेंट रुल्स के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ तो अनुमति की एक प्रति संलग्न की जाय:- नई कार छारीदना है।

14:- मोटर साइकिल/स्कुटर/मोटरकार का आकलन:-

- क) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने मोटर साइकिल/स्कुटर/मोटर कार छारीदने हेतु अग्रिम धन स्वीकृत की शर्तों के अनुसार गाड़ी का बीमा एवं रेहननाम निश्चय अर्थात् के अन्दर जैसा नियम में दिया गया है, नहीं करता हूँ तो पूरा धनराशि एक ही बार में व्याज सहित वापस कर दूंगा।
ख) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि किसी परिस्थितियों में समय से पूर्व अथवा समय पर सेवा मुक्त कर दिया जाऊँ तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से स्वीकृत शेष धनराशि को मुझे क्लेम कर लेवे।

ग) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 31.10.98 को मेरे बच्चों की संख्या 2 है।
दिनांक:- 31.10.98 ई.

Ashok Kumar Yadava
आशोक कुमार यादव
द्वितीय अपर सिविल जज,
जू.डि. वाराणसी।

15:- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना ठीक है।

2:- प्रमाणित किया जाता है कि कालम 2, 4, 10 के सामने दी गई सूचना ठीक है।

दिनांक:- 31.10.98 ई.

Ashok Kumar Yadava
आशोक कुमार यादव
द्वितीय अपर सिविल जज,
जू.डि. वाराणसी।